न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 48
दायरा तिथि 30.01.2024
आदेश तिथि : 05-04-2024
प्रार्थीगण :–

1. अभिमन्युसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर
2. महेन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी जीवदा

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. कोसी पत्नी धनाराम जाति कुम्हार निवासी सेन्दला
2. जवीया पत्नी राजा जाति कुम्हार निवासी सेन्दला
3. प्रकाश चन्द्र पुत्र छोगालाल जाति कुम्हार निवासी सुमेरपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 5/4/024

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सेन्दला पटवार हल्का कुमटिया तहसील बाली के खसरा नंबर 388 रकबा 0.6600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम सेन्दला पटवार हल्का कुमटिया के खसरा नंबर 387 रकबा 0.2100 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध करवाये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/2081 दिनांक 23.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम सेन्दला पटवार हल्का कुमटिया तहसील बाली के प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 388 रकबा 0.6600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। ग्राम सेन्दला पटवार हल्का कुमटिया के खसरा नंबर 387 की भूमि मौके पर आवेदक द्वारा जहां रास्ता चाहा गया है, उक्त स्थान पर खसरा नंबर 387 के खातेदार का ट्यूबवेल स्थित है तथा इसी के पास उसका पक्का कमरा निर्मित है। अतः आवेदक द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते को मौका स्थिति अनुसार दिया जाना संभव नहीं है। आवेदक की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है। खातेदार उपरोक्त खसरा नंबर मे आवागमन हेतु आस–पास स्थित खसरा नम्बरान से आना जाना करता है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है। (खसरा नंबर 387 के दक्षिणी माठ पर बोरवेल स्थित होने के उपरान्त)
3. आवेदक खातेदारी भूमि आवागमन हेतु इसी रास्ते का उपयोग करता आ रहा है।
4. यह है ग्राम सेन्दला में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	328	0.34 हैक्टर	बारानी सोयम	24X07= 168 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

5. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम सेन्दला की डी.एल.सी. दर 1,43,083 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)
CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/48

अनवान अभिमन्युसिंह वगैरा बनाम कोसी वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री हे [illegible] ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार, बाली द्वारा निजी खातेदारी से रास्ता प्रस्तावित नही करके राजकीय सिवायचक भूमि से रास्ता देना प्रस्तावित किया गया। इसलिये अप्रार्थीगण प्रकरण अनावश्यक पक्षकार होने से डिलीट किये जाते है। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् य जाहिर है कि ग्राम सेन्दला पटवार हल्का कुमटिया तहसील बाली के खसरा नंबर 388 रकबा 0.660 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2081 दिनांक 23.02.2024 से नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक.प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सेन्दला पटवार हल्का कुमटिया तहसील बाली के खसरा नंबर 388 रकबा 0.6600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम सेन्दला पटवार हल्का कुमटिया तहसील बाली के खसरा नंबर 328 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में से 168 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।** राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 143083 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
328	0.34 हैक्टर	24X07= 168 वर्गमीटर	15	2520X2=5040	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता मे अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 5040/– (अक्षरे पांच हजार चालीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण [illegible]/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जाकर तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू. अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड मे बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। [illegible] फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/48
अनवान अभिमन्युसिंह वगैरा बनाम कोरी वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 436-450 दिनांक 5/4/

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः—

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें तथा साथ ही प्रार्थीगण के सिवायचक भूमि में दिये गये रास्ते में से अतिकमी को बेदखली की कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, कुमटिया
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक अभिमन्युसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर वगैरा को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CamScanner